

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

170 of
2017

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

19/05/2017

आवेदक/अभियुक्त बृजेश द्वारा श्री गिराज भट्टेले अधिवक्ता उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधि.उप.
राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उपस्थित ।

विचारण न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण क0-152/2017 उनवान श्रीमती नीरज बनाम बृजेश का मूल अभिलेख प्राप्त है ।

आवेदक बृजेश के अग्रिम जमानत आवेदनपत्र के साथ उसके पिता रामनाथ ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया । शपथपत्र एवं आवेदनपत्र में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक बृजेश का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-438 द.प्र.सं. है, इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदनपत्र सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है और न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है ।

आवेदक/अभियुक्त बृजेश के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-438 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये ।

आवेदक/अभियुक्त बृजेश की ओर से व्यक्त किया गया है कि यह प्रकरण परिवाद पर आधारित है । आवेदक के द्वारा कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है । आवेदक की ओर से धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, जो आवेदक के पक्ष में निर्णीत किया गया । अनावेदिका की ओर से धारा-125 द.प्र.सं. का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था, जोकि न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया । इस प्रकरण में पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है । उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है ।

अनावेदिका श्रीमती नीरज की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया है कि आवेदक/अभियुक्त बृजेश ने जनवरी 2016 में उसकी मारपीट करके घर से निकाल

दिया है, उसने कई बार घर जाने का प्रयास किया है और आवेदक/अभियुक्त ब्रजेश उसे रखने को तैयार नहीं है। ब्रजेश के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम के आदेश के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आदेश अंतिम नहीं है। इसी प्रकार धारा-125 द.प्र.सं. के आदेश के विरुद्ध भी पुनरीक्षण की गयी है और वह आदेश भी अंतिम नहीं है। अनावेदिका श्रीमती नीरज से पति ब्रजेश के द्वारा 50,000/-रुपये दहेज की मांग की जाती है तथा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। बिना किसी कारण के ब्रजेश उसे रखने को तैयार नहीं है। ब्रजेश ने धमकी दी है कि वह दूसरी शादी करेगा, उक्त आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि फरियादी श्रीमती नीरज के द्वारा धारा-498(ए) भा.दं.वि० के तहत केवल ब्रजेश के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है। श्रीमती नीरज की ओर से पुलिस अधीक्षक को की गयी शिकायत दि०-08/05/2017 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह तथ्य है कि वह ब्रजेश के यहां रहने गयी थी, परंतु ससुराल पक्ष के द्वारा उसे पत्नी के रूप में नहीं रहने दिया जाता है और लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा होते हैं। आवेदक/अभियुक्त का धारा-09 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदनपत्र स्वीकार हुआ है और अनावेदिका श्रीमती नीरज का धारा-125 द.प्र.सं. का आवेदनपत्र निरस्त किया गया। मारपीट आदि के संबंध में भी कोई चिकित्सीय दस्तावेज नहीं हैं। अपराध न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है, अपराध अधिकतम तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। प्रकरण के निराकरण में लगने वाले समय की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक ब्रजेश को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदनपत्र स्वीकार किया गया। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त ब्रजेश को इस मूल आपराधिक प्र.क्र.-152/2007 अंतर्गत धारा-498 (ए) भा.दं.वि० में गिरफ्तार किया जाता है या संबंधित न्यायिक मजि० के द्वारा अभिरक्षा में लिया जाता है तो उसके द्वारा गिरफ्तारकर्ता अधिकारी या संबंधित न्यायिक मजि० की संतुष्टि योग्य 20,000/-रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जावे :-

आवेदक/अभियुक्त ब्रजेश विचारण में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, अभियोजन साक्ष्य को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगा, अभियोजन साक्षियों को कोई दुष्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा, फरार नहीं होगा, विचारण में सहयोग करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

	<p>आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजि० की ओर पालनार्थ भेजी जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p>(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड</p>	
--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)